

फर्द-अहकाम  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)  
 प्रकरण संख्या- 16/2023

बनाम


अन्तर्गत धारा-

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

12/10/2023

पनावली पेशादारी वहील श्री राहुल भान्यामी तथा व जीपाल आचार्य  
 स्वरा वहीगण की ओर से व अलत बाया पेशा किया गया। वहील  
 श्री राहुल भान्यामी तथा वहीयां लीता स्वयं उप। वहील वही  
 तथा वहीयो शरा वहीगणो श्री ओर से प्रापणिक मन्तर्गित  
 आदेश 23 निमम L सपदि त्वारा 15100 पेश किया वही  
 वही पत्र से नोट जेल से विही किये जाने वही पत्र किया।  
 वहीगण अनुपलब्ध हैं। वहील वही श्री राहुल आचार्य तथा  
 वहीयां सीता डोलुना गया। व- पनावली से न्यायालय समक्ष निवेदन  
 किया गया कि वही पत्र से वहीगण आगामी अमेवारी नही चाले है।  
 तथा वही नोट जेल से विही करना चाहते हैं, ~~वही~~ अतः न्यायालय  
 से निवेदन है कि वही पत्र से नोट जेल से विही करमाने के आदेश  
 दिये जावें। वहील वही तथा वहीयां को लुना गया। वही वही पत्र  
 से नोट जेल से विही करने वही निवेदन किया गया। वही  
 विधि से वही पत्र पर श्री अमेवारी अमेवित नही रह जाती है। अतः  
 वही पत्र से नोट जेल विही ~~विही~~ कर किया जाइर पनावली  
 पर अमेवारी इपी स्तर पर समाप्त ही जाती है पनावली केवल  
 हुमाय से वही दोहरा दायित्व दपतर है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 भिनाय (अजमेर)